

**DECLARATION OF SELF CERTIFICATION TO BE FILLED ALONG WITH
COMMON APPLICATION FORM**

**Under section 16(2) of Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008
(To be executed on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/-)**

I S/o. / D/o. / W/o
Aged Residing at
who is the (Designation) of M/s. and
is the authorized signatory on behalf of the firm/company, do hereby give the following undertaking :—

1. Our firm/company is proposing to set up a project at to manufacture/to provide services.
2. We certify that the particulars furnished in the Common Application Form (Part-A & Part-B) are true, correct and complete to the best of our knowledge and undertake to adhere to the declarations made thereunder. The Firm/ Company shall be made liable for penal action as mentioned under section 18(1) of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 if the particulars furnished are found to be false/incorrect or incomplete and on our failure to adhere to the declarations made.

Implementation Level :

3. The Firm/Company hereby undertakes to abide by the conditions specified in each of the clearances and our failure to comply with the requirements/conditions of clearances shall result in withdrawal/cancellation of the clearances and further will make us liable for legal consequences as specified under the respective Acts/rules.

Operation Level :

4. The Firm/Company undertake to comply with all the provisions of applicable Acts/rules/regulations applicable to our project.
5. The Firm/Company shall be liable for any losses to personal or public property caused due to vague, misleading or incorrect self-certification.

(Authorized Signatory)

Name

Place :

Date :

Office of the Madhya Pradesh Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.

Bhopal/District Trade and Industries Centre

ACKNOWLEDGEMENT

Received CAF No. from M/s in complete shape
on dt. for obtaining following clearances for establishment.

S. No.	Clearance	Combined Application Form Number	Department/Agency	Application enclosed (YES/NO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Environment Clearance (Consent for Air and Water Pollution)	CAF-1	State Environmental Impact Assessment Agency	
2.	Electricity Connection : HT Connection LT Connection	CAF- 2(A) & (B)	Concerned Vidyut Vitran Company	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Approval of place and for permission to construct building under the Factories Act	CAF-3	Labour Department	
4.	Land allotment	CAF-4	Concerned District Trade & Industries Centre (DTIC)/ Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MP AKVN)	
5.	Water Supply	CAF-5	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MP AKVN)	
6.	Allotment of Water proposed to be drawn from Natural Resources	CAF-6	Water Resources Department	
7.	Permission from local bodies for the construction of building	CAF-7	Municipal Corporation/Municipality	
8.	Others			

Place :**Date :**

Name
Signature & Seal
Nodal Agency

Annexure-I

[See rule 5(4) and (5)]

Prescribed Time Limit For concerned departments/agencies for disposal of the applications

S. No.	Consent/Clearance	Prescribed Time Limit*
(1)	(2)	(3)
1.	Environment Clearance under the Environment Protection Act, 1986 (No. 29 of 1986) (i) Technical review, Screening and Scoping for finalizing the Terms of Reference (TOR) for conducting Environmental Impact Assessment (EIA)EMP. (ii) Appraisal of EIA/EMP and final approval or disapproval by State level Appraisal Committee (SEAC). (iii) Approval and issue of Prior Environmental Clearance by the State Environmental Impact Assessment Agency (SEIAA)	60 days 60 days 45 days
2.	Consent for Establishment of Industry under the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	120 days
3.	Consent for Establishment of Industry under Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974	120 days
4.	Sanction of L. T. power connection by MP Vidyut Vitran Company	20 days
5.	Sanction of H. T. power connection by MP Vidyut Vitran Company	30 days
6.	Sanction of Extra H. T. Line	60 days
7.	Approval of place and for permission to construct building under Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948)	90 days

(1)	(2)	(3)
8. Land Allotment from Industry Department		
(i) Letter of intent	15 days	
(ii) Letter of allotment	30 days	
(iii) Execution of Lease Deed	30 days	
(iv) Possession of the land	7 days	
9. Consent for Water supply from Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam	7 days	
10. Land belonging to Revenue Department to be allotted by Industry Department	120 days	
11. Recommendation for Allocation of Water to be drawn from Natural Resources:—		
(a) From District Level Committee	30 days	
(b) Industrial Water Utilization Committee	60 days	
(c) State Level Water Utilization Committee	90 days	
12. Permission from local bodies for the construction of building	30 days	

* Time limit shall be applicable after fulfilling the prescribed terms and conditions. The time limit will commence from the date of receipt of the complete application with nodal agency.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

M. S. SOLANKI, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग
पर्यावास भवन, खण्ड-1, प्रथम तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

संकल्प

क्र. 30979-माअआ-स्था-10.—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जो 2006 का संशोधित अधिनियम, 43) की धारा 29 सहपठित धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, एतदद्वारा, राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996 के लिए “मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2010” द्वारा हुये संशोधन के हिन्दी अनुवाद में हुई त्रुटि के कारण निम्नलिखित संशोधन करता है:—

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—इन विनियमों का नाम “मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2010” है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) विनियम से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996 है।

(4) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2010 में हिन्दी अनुवाद के पैराग्राफ 5 में बताये गये संशोधन को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाए—

विनियम 8 (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द “किया जायगा और” के बाद तथा तृतीय पंक्ति में वर्णित शब्द “के समक्ष” के पूर्व “इस प्रयोजन के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायपीठ (बैंच)” को विलोपित कर इन शब्दों के स्थान पर “सदस्य” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए।

(5) संशोधित विनियम, 2010 के पैराग्राफ 10 के अन्तर्गत बनाये गये विनियम 20 के हिन्दी अनुवाद में आये “समक्ष” शब्द को विलोपित किया जाकर शब्द “सक्षम” प्रतिस्थापित किया जाए।

डॉ. के. पुराणिक, रजिस्ट्रार, लॉ.

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-05—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 5.1(अ) जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन नल कनेक्शन के लिए माँग पत्र प्रदाय किया जाना (1) नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.1(ब)	माँग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना	(1) नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी (2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) (3) आयुक्त, नगरपालिक निगम	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व आयुक्त, नगरपालिक निगम कलेक्टर	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर
5.2	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.3	नगरीय क्षेत्रों के हेण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार	1. नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी 2. नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	7 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व आयुक्त, नगरपालिक निगम	7 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर
5.4	पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जाँच कर रिपोर्ट देना	(अ) <u>जिन निकायों</u> <u>में प्रयोगशाला</u> <u>उपलब्ध है—</u> नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी	10 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	10 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
		<u>(ब) जिन निकायों</u> <u>में प्रयोगशाला</u> <u>उपलब्ध नहीं है</u>				
1.		<u>जल का सेप्पल</u> <u>लेना तथा प्रयोग</u> <u>शाला में परीक्षण</u> <u>हेतु भेजना—</u>	नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी।	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	10 कार्य दिवस
		<u>प्रयोगशाला में जल</u> <u>के सेप्पल की</u> <u>टेस्टिंग तथा टेस्ट</u> <u>रिपोर्ट देना—</u>	नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।	5 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम	10 कार्य दिवस
2.		<u>लोक स्वास्थ्य एवं</u> <u>यांत्रिकी विभाग की</u> <u>प्रयोगशाला का प्रभारी</u> <u>अधिकारी</u>	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला का प्रभारी अधिकारी।	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	10 कार्य दिवस

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,
प्रमुख सचिव